

आगरा मास्टर प्लान-2031

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 'आगरा मास्टर प्लान- 2031' को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें ताजमहल और महताब बाग की ओर से रामबाग तक ताज धरोहर क्षेत्र का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके तहत कई नए नियम बनाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- आगरा मास्टर प्लान-2031 में प्राधिकरण ने पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया है, जिसमें तीन नियम शामिल किये गए हैं। ताज के अलावा रामबाग तक यमुना के दोनों ओर फैले ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से 100 मीटर के अंदर कोई नरिमाण की अनुमति नहीं होगी।
- नियम के तहत 100 से 300 मीटर तक पुरातत्व विभाग के अनुमोदन पर एक मंजलि या 3.75 मीटर ऊँचे और बाकी जगहों पर दो मंजलि यानी 7.50 मीटर से ज्यादा ऊँचाई वाले भवनों की अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात् ताज से रामबाग के बीच दोनों ओर दो मंजलि से ऊँचे भवन नहीं बनाए जा सकेंगे। इससे यमुना कनारे मॉल, अपार्टमेंट, बहुमंजलि भवनों का नरिमाण नहीं किया जा सकेगा।
- प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महायोजना का हिस्सा बनाया है जिसके तहत ताजमहल के 500 मीटर दायरे में कोई नरिमाण नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद 500 मीटर से 750 मीटर दूरी तक एक मंजलि भवन और 750 मीटर से एक कमी दूरी तक दो मंजलि भवन से ज्यादा नहीं बन पाएंगे। ऐसे नरिमाण, टावर और पुनर्रिमाण नहीं होंगे जिनसे दक्षिणी गेट चबूतरे से ताज के बैक ग्राउंड का दृश्य खराब नज़र आए।
- ताज से रामबाग तक यमुना नदी के दोनों ओर प्रस्तावित ताज धरोहर क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित किया जाएगा। बलकेश्वर, कटरा वजीर खौं, रामबाग के पास की कॉलोनियों में यमुना नदी के कनारे चैन फेंकटरियों समेत औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं।
- आगरा मास्टर प्लान-2031 में पूरे ताज धरोहर क्षेत्र में चलने वाली इकाइयों को महायोजना में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में चल रही थोक मंडियों को भी शहर से बाहर करने का प्रस्ताव है। जिन मंडियों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, उनकी खाली पड़ी जमीन पर पार्कगि और अन्य सेवाओं को मुहैया कराया जाएगा और केवल फुटकर की दुकानों को विकसित किया जाएगा।